

153

OL

क

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम	558 2020	राज-संस्कार / मंगलराम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-------------	--	---

223

0412

31/12/20

कार्यालय विघोर होकर पत्रावली प्राप्त
उत्तर है। पत्रावली उत्तर रजिस्टर
करे। आवेदन अपीलान्त उपाधिकार
वेस्टोडेन्स के नोटिस जारी करे। दायित्व
न्यायालय की पत्रावली बतल करे।
पत्रावली दिनांक 28/1/2021 को पेश हो।

क्र. नं
8345-46
31-12-20

28/1/21

पत्रावली उत्तर है। आवे. अपीलान्त उपाधिकार
वेस्टो. सं. 1 की ओर से आवेदन अपीलान्त
के अन्तर्गत पेश किया। एवम् वेस्टो. सं. 2
की ओर से आवेदन अपीलान्त आश्री गौतम के
अन्तर्गत पेश किया। पत्रावली आश्री
सुबोध हेतु दिनांक 04/2/2021 को पेश हो।

04/2/21

पत्रावली उत्तर है। आवे. उपाधिकार उपाधिकार
अधिकार वेस्टो. सं. 1 के अन्तर्गत पत्रा
अन्तर्गत धारा 11 CPC वेस्टो. सं. 1 पेश
किया; जिसकी नकल अपीलान्त / अपीलान्त
को दिनांक गयी। पत्रावली आश्री
कार्यवाही हेतु दिनांक 17/2/2021
को पेश हो।

June

17/2/21

अवे. अपीलान्त / वेस्टो. उपाधिकार
के अन्तर्गत पत्रावली दिनांक
दिनांक 26/2/21 को पेश हो।

June

26/2/21

पत्रावली उत्तर है। आवेदन अपीलान्त ने
उपाधिकार होकर अन्तर्गत पत्रावली पेश
किया जाने का पेश कर निवेदन किया।
अपीलान्त द्वारा सचिव से अपीलान्त की जानकारी
के अन्तर्गत पत्रावली अपीलान्त के
उत्तर कर ही गयी है अन्तर्गत अपीलान्त

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म

558
2020

संख्या 2 | मंगलाराम
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

को बाह्यविक्रम रूप से बाजडाघरी केश करना
या। कतः अपीलार्थी जब यह अपील चलाया
नहीं चाहे है एवम् अपील विद्वा करना
चाहे है। कतः अपील विद्वा करवाई जाने
के काले प्रदान करे।

कथितवत् अपीलार्थी राजकीय
पेशकार द्वारा उद्दिष्ट उक्त से कन्ट्रैक्ट
होकर एवम् पूर्वी के यह अपील विद्वा
करना चाहे है। कतः अपीलार्थी द्वारा
पुस्तक तर्कों से सन्तुष्ट होकर जर्जना फा
विद्वा स्वीकार किया जाकर अपील विद्वा
की अनुमति प्रदान की जाती है फलस्वरूप
अपील स्वरूप की जाती है। तदनुसार
पत्रावली केसल सुमार होकर बाद
तकमिल दाखिल इक्तर है। काले
शुले न्यायालय से सुनाया गया।

J. P. Singh
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

